तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **खेमसिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी)** सू.अ.अपील संख्या 171/2023	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.08.23	अपीलार्थी खेम सिंह जोधा निवासी ग्राम/पोस्ट शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.04.2023 में (1) न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी श्री गोपाल परिहार के द्वारा 15.01.2023 से 10.02.2023 तक किये गये फैसले की प्रमाणित सूची वादी/प्रतिवादी एवं मुकदमा संख्या/निवासी सहित नियमानुसार (2) अन्य बिन्दू, से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमान्शु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए